औलाद के बीच इन्साफ़ करो

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (पैग़म्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अतिय्या देने में अपनी औलाद के दर्मियान बराबरी का मामला करो। (इब्ने हिब्बान ५०५२) शैख़ अलबानी ने इस हदीस को सहीह क़रार दिया है।

इसस हदीस में औलाद के बीच बराबरी अर्थात न्याय करने की शिक्षा दी गई है इस में कोई शक नहीं है कि न्याय की संकल्पना हर जगह मौजूद है और आज हर जगह न्याय के लिये और न्याय दिलाने के लिये लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यह इस बात की दलील है कि न्याय और बराबरी की अहमियत का एतराफ़ सबको है। इस हदीस में बराबरी का उपदेश देकर यह भी बताया गया है कि न्याय की शुरूआत सबसे पहले अपने घर से करना चाहिये और न्याय करने की आदत बनानी चाहिये। घरों में जो छोटे मोटे झगड़े और मतभेद होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह लेन देन भी है। और यह हक़ीक़त है कि बराबरी का मामला न करने से घर और समाज में बिखराव पैदा होता है। इसी लिये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने औलाद के बारे में न्याय से काम लेने की ताकीद की है।

एक रिवायत में है हज़रत आमिर बयान करते हैं कि मैंने नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहो अन्हुमा से सुना वह बयान कर रहे थे कि मेरे बाप ने मुझे अतिय्या दिया तो नौमान की माँ ने कहा कि जब तक आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह न बनायें मैं सहमत नहीं हो सकती। नौमान रज़ियल्लाह अन्हो ने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास पहुंच कर कहा कि मैंने अपने अमुक बेटे को तोहफा दिया है मैं आप को गवाह बनाना चाहता हूँ आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम ने इसी जैसा तोहफ़ा अपने अन्य बेटों को भी दिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के बीच न्याय करो फिर नौमान रज़ियल्लाहो अन्हो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास से वापस होने के बाद अतिय्या वापस ले लिया'' (सहीह बुख़ारी)

एक रिवायत में है हज़रत नौमान बिन बशीर बयान करते हैं कि उनके पिता महोदय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास मुझको लेकर आये और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से कहाः मैंने अपने इस लड़के को तोहफ़े में एक गुलाम दिया है आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुमने अपने दूसरे लड़कों को भी इसी तरह का गुलाम तोहफ़े में दिया है उन्होंने कहा नहीं आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम अपने इस बच्चे से इस गुलाम को वापस ले लो।

यह हदीस हमें इस बात की सीख देती है कि हम लोगों को औलाद के बीच लेन देन के मामले में न्याय से काम लेना चाहिये।

मासिक

इसलाहे समाज

मार्च 2025 वर्ष 36 अंक 3

रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	....	2
2.	अपने कामों की समीक्षा करते रहना चाहिये	4
3.	ज़कात न देने वालों का अंजाम	6
4.	ऐलाने दाख़िला	08
5.	सदक़तुल फ़ित्र और ईद के मसाइल	09
6.	पति-पत्नी के अधिकार	11
7.	पैग़म्बर मुहम्मद स०अ०व० के उपदेश	14
8.	ज़हर पीना और नशीले पदार्थों का इस्तेमाल हराम है	17
9.	इस्लाम में शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा	19
10	अपील	24
11.	अल्लाह से संबन्ध मज़बूत होने की ..	25
12.	१५ वाँ आल इंडिया रेफ्रेशर कोर्स	26
13.	अपील	27
14.	अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन)	28

ईमेल:-
Jaridahtarjuman@gmail.com
Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com
अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है
वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

सम्पादकीय

अपने कामों की समीक्षा करते रहना चाहिये

नौशाद अहमद

इन्सान अपने बारे में खास तौर से अपनी गतिविधियों के बारे में जो राय और सोच रखता है कोई ज़रूरी नहीं है कि आस पास या उससे दूर रहने वाले इन्सान उसकी राय और सोच को सहीह समझते हों, इस्लाम का मानने वाला कोई कर्म करता है तो उसे इस हक़ीक़त का ज्ञान होना चाहिए कि वह इस दुनिया में बिल्कुल आज़ाद नहीं है बल्कि वह इस संसार के पालनहार और स्वामी अल्लाह का बन्दा है जिसे अपने पालनहार के आदेशों का पालन करना है यही उसके ईमान की परीक्षा है। ऐसा नहीं है कि कोई यह दावा करे कि वह इस्लाम का मानने वाला है और उसका कर्म इस्लाम के अनुसार न हो, दूसरों के लिये हानिकारक हो, उसके कर्मों से दूसरे लोग परेशान होते हों तो फिर वह अपने मन का आज्ञाकारी है। इस दुनिया में अल्लाह तआला किसी को इतनी आज़ादी नहीं देता कि वह दूसरों के लिये हानिकारक और समाज के असम्मान का कारण बन जाये, उसके कर्मों से परिवार वालों का अपमान होता हो।

इस्लाम ने इस संसारिक जीवन में हम सभी को जो कर्तव्य बताया है, उन पर पूरी तरह से अमल करके ही, इन्सान की ज़िन्दगी का मक़सद पूरा हो सकता है, इसी तरह से संगठन का भी मामला है दुनिया में जहाँ भी संगठन चल रहे हैं, उनकी कामयाबी कार्यकर्ताओं की सक्रियता, नियम का पालन एवं निष्ठा पर निर्भर करता है आज्ञापालन हमें सिस्टम का पाबन्द बनाता है, किसी काम को अच्छे ढंग से अंजाम देने का आदी बनाता है अगर संगठन में रहते हुए हमारे अन्दर सिस्टम और सक्रियता न हो तो फिर वह लक्ष्य नहीं पाया जा सकता है जो किसी भी संगठन, समाज का एक मकसद होता है, इस लिये यह तय होना चाहिए कि हमें कहाँ तक पहुंचना है और कहाँ जा कर रूक जाना है। यह ऑकलन और समीक्षा भी ज़रूरी है कि किसी संगठन का एक कार्यकर्ता होने के नाते क्या संगठन के उस लक्ष्य को हासिल करने में हम कामयाब हो गये या पहले की तरह पहले ही चरण में हैं, चाहे व्यक्ति हों, या समाज व संगठन समीक्षा करना मानसिक तौर पर स्वस्थ होने की दलील है जो अपनी समीक्षा या आत्मनिरीक्षण नहीं करते उनकी दिशा तय नहीं होती, और न ही अपनी मंज़िल पा सकते हैं।

जैसा कि ऊपर की लाइनों में यह गया कि इस दुनिया में इन्सान यूं ही नहीं आया है, उसके आने का मक़सद है, अगर मक़सद पूरा न हो तो समझ लेना चाहिए कि न व्यक्ति कामयाब है न संगठन कामयाब।

सकारात्मक कामों के लिये सक्रिय व्यक्ति किसी भी संस्था और संगठन के लिये रीढ़ की हडडी होते हैं। समाज व संगठन को कामयाब बनाने के लिये सिर्फ कुछ लोगों के सक्रिय रहने से वह मक़सद हासिल नहीं किया जा सकता है जिस की उम्मीद की की जाती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादा तर लोग इस का सकारात्मक प्रयोग या सदउपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात अधिकतर लोग अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर केवल यह देखते रहना कि क्या आ रहा और क्या पोस्ट हो रहा है, इससे न देखने वाले का भला हो

रहा है और न ही स्वयं संबन्धित वर्ग का जबकि उसके विपरीत इस को लाभकारी बनाया जा सकता है शर्त यह है कि ट्रेन्ड और प्रशिक्षित हो कर इसका सहीह इस्तेमाल किया जाये। सोशल मीडिया का संदर्भ इस लिये दिया गया है कि व्यक्ति और संगठन के लिये यह काफी महत्वपूर्ण हो गया है और आज कल लोग इसी पर अपना ज़्यादा वक़्त बर्बाद कर रहे हैं न वह अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर पा रहे हैं और न संस्था का लक्ष्य पूरा करने में सहायक बन पा रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि जिस मक़सद से इस दुनिया में हमारा वजूद हुआ है, उस मक़सद का अभाव है जबकि अल्लाह तआला ने कहा है कि हमने किसी चीज़ को बेकार नहीं पैदा किया। संगठन एक कार्यकर्ता को दूसरों के लिये लाभकारी होने का पाठ और सीख देता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारी दिशा सहीह नहीं है।

इन्सान को संसार की दूसरी सृष्टि पर वरीयता और श्रेष्ठता प्राप्त है क्योंकि उसके पास सहीह और गलत, सत्य और असत्य में अन्तर पैदा करने की अल्लाह ने क्षमता दी है, यह वरीयता और श्रेष्ठता होने के बावजूद आज का इन्सान अपने लिये, अपने खानदान के लिये और अपनी संस्था के लिये लाभकारी साबित न हो तो फिर इन्सान स्वयं यह सोचे कि फिर उसके जीवन का क्या मक़सद रह जाता है?

अगर लक्ष्य और मक़सद तय न हों तो फिर ऊंचे स्वपन तो दूर की बात छोटे स्वपन भी पूरे नहीं होते। ❑❑❑

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के लिए

ईदाना फण्ड जमा करना हरगिज़ न भूलें

ईद की खुशी के मौक़े पर मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस को न भूलें। जिस तरह आप ईद के मौक़े पर अपने बच्चों को ईदी दे कर उनकी खुशियों को बढ़ाते हैं उसी तरह मर्कज़ी जमीअत को ईदाना फन्ड देना न भूलें। सुबाई, ज़िलई और मकामी जमीअत और मदर्सों के ज़िम्मेदारान और इमामों से अपील है कि मस्जिदों और ईदगाहों में जमीअत के लिये ज़रूर अपील करें और जो रक़म मर्कज़ी जमीअत के लिये प्राप्त हो उसको चेक या ड्राफ्ट के द्वारा जमीअत को भेज दें ताकि आप का ईदाना फन्ड जमीअत व जमाअत के महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने में अहम रोल अदा कर सके।

चेक या ड्राफ्ट इस नाम से बनवायें।

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

चेक या ड्राफ्ट भेजने का पताः-

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-6

011-23273407 Fax 011-23246613

ज़कात न देने वालों का अंजाम

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''जिन्हें अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से कुछ दे रखा है वह इस में कन्जूसी को अपने लिये बेहतर ख्याल न करें बल्कि वह उनके लिये अत्यन्त बदतर है, अन्क़रीब क़यामत वाले दिन यह अपनी कनजूसी की चीज़ के तौक़ डाले जाएं गे'' (सूरे आले इमरान-१८०)

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''और जो लोग सोने चांदी का ख़ज़ाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़बर पहुंचा दीजिए, जिस दिन इस ख़ज़ाने को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा फिर इससे उनकी पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी (उनसे कहा जाएगा) यह है जिसे तुम ने अपने लिये ख़ज़ाना बना कर रखा था, पस अपने खज़ाने का मज़ा चखो।'' (सूरे तौबा, ३४-३५)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''जिसे अल्लाह ने माल दिया लेकिन उसने ज़कात नहीं दी तो क़यामत के दिन उसका माल जहरीले गंजे सांप की शक्ल धारण करेगा जिसकी आखों पर दो काले बिन्दु होंगे और वह इसके गले का हार होगा वह इसके दोनों जबड़ों को पकड़ेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं''। (बुखारी-१४०३)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''जिस शख़्स के पास भी सोना चांदी है और वह ज़कात अदा नहीं करता तो क़्यामत के दिन उसके लिये सोना चांदी के पतरे आग से बनाए जायेंगे, जहन्नम की आग में उनको गरम किया जाएगा फिर इन पतरों से उसके पहलुओं, उसकी पेशानी और उसकी कमर को दाग़ा जाएगा। पचास हज़ार साल के दिन में बन्दों में फैसले होने तक जब भी इन पतरों को (उसके बदन से) जहन्नम की जानिब फेरा जाएगा उसको उस (के जिस्म) की तरफ (निरन्तरता के साथ) लौटाने का अमल जारी रहे गा।

आप से पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल ऊटों के बारे में क्या (हुक्म) है? पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो ऊंटों वाला ऊंटों की ज़कात अदा नहीं करता जबकि ऊटों के बारे में यह हक़ भी (मुस्तहब) है कि जिस दिन उनको पानी पिलाने के लिये ले जाये उनका दूध दुह कर (गरीबों और मिस्कीनों) में तक़सीम किया जाए तो जब क्यामत का दिन होगा तो ज़कात न देने वाले ऊटों के मालिक को (चेहरे के बल) ऊंटों के पामाल यानी रौंदने के लिये चटियल मैदान में गिरा दिया जाए गा ऊंट पहले से ज़्यादा मोटे ताज़े और बड़ी मात्रा में होंगे उन में से कोई बच्चा भी गायब नहीं होगा फिर ऊंट अपने मालिक को अपने पावों से रौंदें गे और अपने दांतों से काटेंगे जब इस पर से पहला दस्ता गुज़र जाएगा। तो फिर इस पर से दूसरा दस्ता गुज़रे गा (यह काम उस रोज़ तक क़ाइम रहेगा) जिस की मुददत हज़ार साल के बराबर है यहां तक कि बन्दों के बीच फैसला हो जाएगा और हर शख़्स अपने मक़ाम को देखेगा कि जन्नत में है या जहन्नम

में है।

पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल! गाय और बकरियों के बारे में क्या (हुक्म) है? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः गाय और बकरियों का जो मालिक भी इन की ज़कात अदा नहीं करता तो क़्यामत के दिन उसको उनके लिये चटियल बड़े मैदान में (मुंह के बल) गिराया जाएगा। जानवरों में से कोई जानवर गायब नहीं होगा उनमें खमदार सींगों वाला, बग़ैर सींगों वाला और टूटे हुए सींगों वाला कोई जानवर नहीं होगा। जानवर उसको सींग मारेंगे और खुरों के साथ उसे रौंदेंगे जब उस पर पहला दस्ता गुज़ार जाए गा तो उस पर आखिरी दस्ता (उस रोज़ तक लगातार) गुज़रता रहेगा जिस की मुददत पचास हज़ार साल है यहां तक कि इन्सानों के दर्मियान फैसला हो जाएगा। तो हर शख्स अपना ठिकाना देख लेगा कि जन्नत में है जा जहन्नम में है। (मुस्लिम, हदीस का आंशिक भाग-९७८ अबू दाऊद १६५८, मुसनद अहमद १६२/२ मुसनद अब्दुर्रज्ज़ाक ६८५८, इब्ने खुज़ैमा, २२५२, इब्ने हिब्बान ३२/३, बैहक़ी १८१४)

ज़कात के फर्ज़ होने की हिकमत

१. ताकि माल पवित्र और बाबर्कत हो जाए।

२. फक़ीरों और मिस्कीनों की मदद व सहयोग हो जाए।

३. इन्सान का मन बखीली व कंजूसी जैसी बुरी आदतों और गुनाहों से पवित्र हो जाए।

४. माल की नेमत की वजह से इन्सान पर जो अल्लाह का शुक्र लाज़िम आता है वह अदा हो जाए। (अल फिकहुल इस्लाम व अदिल्लतुहू ३/१७९०)

जैसा कि पवित्र कुरआन की इन दलीलों से पता चलता है।

१. ''और ज़कात अदा करो'' (सूरे बक़रा-४३)

२. ''उनके मालों से आप सदक़ा लीजिए'' (सूरे तौबा १०३१)

३. ''उस के कटाई के दिन उसका हक़ अदा करो'' यानी फल उतारने या फसलों की कटाई के वक़्त) सूरे तौबा-१४१

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसललम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को यमन की तरफ भेजते वक्त फरमाया कि उन्हें जाकर खबर दो कि बेशक अल्लाह ने उन पर उनके मालों में सदक़ा (यानी ज़कात) को फर्ज़ क़रार दिया है।'' (बुखारी-१३९५, मुस्लिम १९, अबू दाऊद १५४८ तिर्मिज़ी २६१, नेसई २/५, इब्ने माजा १८७३ मुसनद अहमद २३३/१)

हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहो अन्हो को ज़कात के फर्ज़ होने से संबन्धित यह लेख भेजा ''यह ज़कात का वह फरीज़ा है जिसे अल्लाह के पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर फर्ज़ किया है और अल्लाह तआला ने जिस को अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया है'' (बुखारी, १४५४ अबू दाऊद १५६७, नेसई २४४७)

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः पांच चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है उनमें से एक ज़कात अदा करना भी है। (बुखारी-८)

हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि मैंने इन मामलों में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बैअत की कि नमाज़ काइम करूंगा, ज़कात अदा करूंगा और हर मुसलमान की खैर खुवाही करूंगा''। (बुखारी १४०१)

ज़कात के वाजिब होने पर हमेशा से मुसलमानों का इजमअ् (सर्वसम्मत) रहा है।

''फिक़हुल हदीस'' भाग १ से पृष्ठ ६६६-६६८

एलाने दाख़िला

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जेरे एहतमाम अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला दिल्ली में स्थापित उच्च शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्था

अलमाहदुल आली लित तखस्सुस फिद दिरासातिल इस्लामी में नये तालीमी कलैण्डर के अनुसार इस साल नये सत्र के लिये एडमीशन 9 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक लिया जायेगा। अपना अनुरोध पत्र व सनद की फोटो कापी इस पते पर भेजें। आवेदन पत्र मिलने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल 2025 है।

नोटः- हर क्षात्र को वज़ीफे के तौर पर हर महीने 3000/- दिया जायेगा। अधिकृत जानकारी के लिये संपर्क करें।

अहले हदीस कम्पलैक्स डी.254 अबुल फजल इन्कलेव

जामिया नगर दिल्ली-110025

फोन 011-23273407

Mob. 9213172981, 09560841844

शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

सदकतुल फित्र और ईद के मसाइल

रोज़ा सन २ हिजरी में फर्ज़ हुआ, सदकतुल फित्र भी इसी साल वाजिब हुआ और इसी साल पहली बार ईदुल फित्र की नमाज़ अदा की गई। ईद की नमाज़ मुसलमानों पर वाजिब है बिना ठोस सबब के इससे पीछे रह जाने (छोड़ने) वाला गुनहगार होता है।

अल्लाह का फरमान हैः "अपने रब के लिये नमाज़ अदा करो और कुर्बानी करो" (सूरे कौसर-२)

वाजिब होने की दलील सहीह बुखारी व मुस्लिम की उस रिवायत से मिलती है जिस में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हाइज़ा औरत को भी ईदगाह जाने का हुक्म दिया है। यही राय शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया, शैख अलबानी, शैख इब्ने बाज, और शैखुल हदीस उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपूरी रहिमहुल्लाह अलैहिम वगैरह का है।

रमज़ान की २९वीं तारीख को चांद देखने का एहतमाम करना चाहिए। रमज़ान के चांद की रूयत के लिये एक आदिल मुसलमान की गवाही काफी है मगर रमज़ान के अलावा बक़िया महीनों के लिये दो आदिल मुसलमान की गवाही काफी है। चांद नज़र आने पर मसनून दुआ पढ़नी चाहिए।

ईद की नमाज़ से पहले पहले घर के तमाम लोगों की तरफ से फितरा गरीबों और मिसकीनों को दे दें।

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लहो तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सदक़ए फित्र को वाजिब करार दिया है, एक साअ जौ या खुजूर का जो हर आज़ाद, गुलाम, मर्द व औरत और छोटे बड़े मुसलमान पर वाजिब है। (सहीह मुस्लिम-९८४)

चांद रात सूरज डूबने से लेकर ईद की नमाज़ तक तकबीर पढ़ना सुन्नत है। घर में हों, बाज़ार में हों, या मस्जिद में मर्द हज़रात बुलन्द आवाज़ से पढ़ें और औरतें धीमी आवाज़ से।

ईद के दिन रोज़ा रखना मना है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा के दिन रोज़ा रखने से मना किया है। (सहीह मुस्लिम ११३८)

ईद के दिन नहाना मुस्तहब है, इसी तरह अच्छा और साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए जैसा कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से ईद के दिन खूबसूरत चादर ओढ़ने का जिक्र मिलता है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को खुश्बू भी बहुत पसन्द थी इसलिये हमें भी पसन्द करना चाहिए।

ईद के दिन खुजूरें खाकर ईदगाह जाना सुन्नत है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदुल फित्र के दिन खुजूर खाये बिना नहीं निकलते थे दूसरी रिवायतों में है कि खुजूर न हो तो जो भी मिले खा लेना चाहिए।

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान फरमाते हैं कि

अल्लाह के रसूल ईदगाह पैदल जाते और पैदल ही वापस होते थे। (इब्ने माजा १०७८)

ज़रूरतमन्द सवारी पर भी सवार हो कर जा सकता है।

इसी तरह नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम एक रास्ते से जाते थे और वापस होने में रास्ता बदल देते थे। (सहीह बुखारी ९८६)

रास्ता बदलने की हिकमत और अकलमन्दी के बारे में बहुत से कथन बयान किये गये हैं लेकिन शैख इब्ने उसैमीन रह० का कथन सबसे बेहतर माना जाता है उन्होंने कहा है कि इसकी (रास्ता बदलने की) हिकमत नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पैरवी व अनुसरण में है।

ईद की नमाज़ खुले मैदान में अदा की जाए लेकिन ज़रूरत के तहत मस्जिद में भी अदा की जा सकती है जैसा कि बारिश की वजह से नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ी है। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने औरतों को ईद की नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है यहां तक कि आप ने हाइज़ा औरत को भी ईदगाह जाने का हुक्म दिया है ताकि वह मुसलमानों की दुआ में शरीक हो सकें।

हज़रत उम्मे अतिय्या रज़ियल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि औरतों को ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा में ईदगाह ले जाएं, जवान लड़कियों हैज़ वाली औरतों और पर्दा वाली औरतें को भी, लेकिन हैज वाली औरतें नमाज़ से अलग रहें लेकिन वह अखीर में मुसलमानों की दुआ में शरीक हों मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर हम में से किसी एक के पास जिलबाब न हो तो? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी बहन उस को अपनी चादर उढ़ा दे। (सहीह बुखारी ३२४, सहीह मुस्लिम ८९)

इसलिए औरतों के लिये अफज़ल यही है कि वह ईद गाह जाएं। ईदगाह के प्रबन्धकों को चाहिए कि औरतों के लिये अलग से खेमे का इन्तेज़ाम करें ताकि औरतें भी ईद के दिन मर्दों के साथ जमाअत से नमाज़ पढ़ सकें। ईद की नमाज़ के अलावा कोई नमाज़ नहीं है न पहले न बाद में और न ही अज़ान व इक़ामत है। ईद की नमाज़ में १२ जायद तकबीरें हैं पहली रकात में ७ और दूसरी रकात में ५ तकबीरें हैं।

अगर ईद जुमा के दिन पड़ जाये तो जुमा की नमाज़ या फिर जुहर की नमाज़ पढ़ लेना काफी होगा आर्थात जो चाहे जुमा की नमाज़ पढ़े और जो चाहे जुहर की नमाज़ पढ़े।

इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साथ दो ईद पड़ गई यानी ईद और जुमा तो आप ने ईद की नमाज़ पढ़ाने के बाद फरमाया कि जो शख्स जुमा पढ़ना चाहे तो पढ़ ले और जो नहीं पढ़ना चाहता तो वह न पढ़े। (इब्ने माजा १०९१)

रमज़ान के रोज़ों के बाद छः रोज़े रखने की बड़ी फज़ीलत है। हज़रत अबू ऐयूब अंसारी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिस ने रमज़ान के रोज़े रखे फिर इसके बाद शव्वाल के छः रोज़े रखे तो यह हमेशा रोज़ा रखने (के सवाब) की तरह है।(सहीह मुस्लिम-११६४)

(अनुवाद)

पति-पत्नी के अधिकार

डा0 मुक़तदा हसन अज़हरी

इस्लाम ने सामाजिक व्यवस्था को अत्यधिक महत्व दिया है। उचित दिशा में यदि समाज का निर्माण न हो सके तो उसमें रहने वाले व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक सुख नहीं पा सकते। किसी समाज के उचित एवं सन्तुलित निर्माण के लिये आवश्यक है कि आपसी अधिकारों एवं कर्तव्यों का पूरा-पूरा ध्यान रखें। इस्लाम ने निकट सम्बन्धियों के अधिकारों की रक्षा पर बड़ा ध्यान दिया है तथा किसी भी प्रकार के अन्याय का कड़ाई के साथ विरोध किया है।

समाज में सन्तुलन तथा उसकी भलाई के लिये यह आवश्यक है कि उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों एवं हितों के साथ ही अन्य व्यक्तियों के अधिकारों तथा हितों का ध्यान रखे, तथा सदैव इस बात का प्रयास करे कि अधिकारों की प्राप्ति के साथ ही कर्तव्यों को भी निभाता रहे, वरना समाज का सन्तुलन स्थिर नहीं रह सकेगा, तथा इसके फलस्वरूप परिवार तथा उसके सभी सदस्य एक प्रकार के असन्तोष तथा मानसिक पीड़ा में ग्रस्त हो जायेंगे।

जीवन में अधिकारों एवं दायित्वों के दूरगामी प्रभाव के कारण इस्लाम ने पति-पत्नी के अधिकारों एवं दायित्वों का सविस्तार वर्णन किया है तथा दोनों से यह आपेक्षा की है कि वे अपने-अपने अधिकारों तथा दायित्वों के निर्वाह के विषय में विचार करते हुए सन्तान, समाज तथा परी उम्मत (इस्लाम धर्म के मानने वालों) के हितों को भी दृष्टिगत रखें। ऐसा न हो कि मनुष्य अपने अधिकारों की प्राप्ति के प्रयास में सन्तान, समाज या उम्मत के लिये क्षति का कारण बन जाये।

पत्नी के अधिकारः विवाह के उपरान्त पत्नी के निम्नलिखित अधिकार, पति पर लागू होते हैं।

१. भौतिक अधिकारः

क. महर की रकमः यह स्त्री का विशेष अधिकार है। इससे यह मांग नहीं की जा सकती कि वह महर की धनराशि से घरेलू सामग्री खरीदे, क्योंकि घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने या सजाने संवारने की जिम्मेदारी पति पर लागू होती है।

ख. **आवश्यक एवं अनिवार्य व्ययः** पुरूष का यह भी दायित्व है कि वह दैनिक आवश्यकताओं के व्यय की व्यवस्था करे, क्योंकि पत्नी सन्तान की देख-रेख तथा घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती है, इस कारण वह जीविका कमाने के लिए कोई कार्य नहीं कर सकती।

२. नैतिक अधिकारः

अ. पत्नी का एक अधिकार यह भी है कि पति उसके साथ उचित व्यवहार करे। कुरआन की एक आयत में इस प्रकार के अधिकारों को बड़े ठोस रूप में स्पष्ट किया गया है।

''जैसे महिलाओं पर पुरूषों के अधिकार हैं वैसे ही महिलाओं के भी नियमानुसार अधिकार हैं''। (सूरे बक्रः आयत २२८)

एक हदीस में है कि पूर्ण मोमिन वह है जिसके व्यवहार अच्छे हों

तथा वह अपने परिवार पर दयालु हो। (औनुल माबूद ४३१/३१)

शरीअत ने महिलाओं के साथ कठोरता या उन पर अत्याचार को कड़ाई के साथ रोका है तथा उनके साथ दया एवं नरमी के व्यवहार का आदेश दिया है। नबी स० का कथन है कि

''महिलाओं के पक्ष में भलाई की वसीयत स्वीकार करो, वह पसली से पैदा की गई है तथा पसलियों में सबसे ऊपर की पसली सबसे अधिक टेढ़ी है। यदि उसे सीधा करना चाहोगे तो टूट जायेगी और यदि उसे छोड़ दोगे तो सदैव टेढ़ी रहेगी, इसलिये महिलाओं के पक्ष में वसीयत स्वीकार करो। (फतहुल बारी २४३/१)

यदि किसी के पास एक से अधिक पत्नियां हों तो उनके मध्य प्रत्येक वस्तु में न्याय आवश्यक है। नबी स० का कथन है कि यदि किसी के पास दो पत्नियां हों तथा उनके बीच न्याय न करे तो कयामत (प्रलय) के दिन वह इस दशा में आयेगा कि उसका आधा शरीर झुका होगा।

अमर बिन अहवस रजिअल्लाहो अन्हो से एक लम्बी हदीस वर्णित है कि महिलाओं के साथ अच्छे व्यवहार को आवश्यक समझो, वह तुम्हारे अधीन हैं। जब तक उनसे निर्लज्जता प्रचलित न हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम्हारा उन पर तथा उनका तुम पर अधिकार है। तुम्हारा अधिकार यह है कि वह किसी अन्य के साथ व्यभिचार न करें तथा किसी अपरिचित व्यक्ति को घर में न आने दें, तथा उनका अधिकार यह है कि तुम उन्हें अच्छा खाना खिलाओ और अच्छे वस्त्र पहनाओ। (इब्ने माजा ५६४/१)

अबू दाऊद की एक हदीस में यह भी वर्णित है कि पत्नी को चेहरे पर मत मारो, बुरा भला न कहो तथा क्रोध में उसे घर से न निकालो। (औनुल माबूद १८०/६)

एक अन्य हदीस में वर्णित है कि उत्तम मनुष्य वह है जिसका अपने परिवार के साथ व्यवहार अच्छा हो। इस्लाम ने सामान्य रूप से महिलाओं के सम्बन्ध में धैर्य से काम लेने का आदेश दिया है। इसलिए यदि उनका कोई अप्रिय कार्य हो जाये तो पुरूष को सन्तोष तथा संयम से काम लेना चाहिए तथा उनके साथ सदव्यवहार बन्द नहीं करना चाहिए। कुरआन ने मुसलमानों को इस प्रकार सम्बोधित किया है।

''महिलाओं के साथ नियमानुसार निर्वाह किया करो, यदि तुम उन्हें किसी कारण नापसन्द करो तो भी निर्वाह करो, हो सकता है कि ईश्वर तुम्हारी अप्रिय वस्तु में तुम्हारे लिये बहुत ही अच्छाई पैदा कर दे''। (अन्निसा आयत १६)

ब. पति के लिये यह आवश्यक है कि वह जिस प्रकार पत्नी के खाने-पीने तथा पहनने ओढ़ने की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार उसे रिश्तेदारों एवं सगे सम्बन्धियों के यहां भी जाने दे, यदि उसके घर (मायका) कोई बीमार हो तो उसे देखने का भी अवसर दे।

स. पत्नी के अधिकारों में उसकी भावनाओं का महत्व तथा उसके सुझाव का सम्मान भी है, यदि किसी समस्या में उसके सुझाव हितकारी हों तो उस पर व्यवहार आवश्यक है। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जीवनी में हमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। हुदैबिया के अवसर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहो अन्हा की राय के अनुसार

व्यवहार किया था तो उससे मुसलमान पापों से सुरक्षित रहे।

द. नैतिक अधिकारों में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि पति, पत्नी को इस्लाम की अनिवार्य बातों, आस्थाओं तथा उपासनाओं की शिक्षा दे, तथा शरीअत के आदेशानुसार व्यवहार करने का उपदेश दे। सूर तहरीम की आयत न. ६ में अल्लाह तआला ने परिवार तथा बाल बच्चों को नरक की आग से बचाने का जो आदेश दिया है, उस पर व्यवहार की एक सूरत यह हभी है।

य. पत्नी के सम्मान तथा मर्यादा का भी ध्यान रखना पुरूष की जिम्मेदारी है। ऐसी सभाओं तथा स्थानों से दूर रखना आवश्यक है जिससे मान सम्मान के मिटने का भय हो तथा इस्लामी नियमों, आदेशों तथा शिष्टाचारों का उल्लंघन होना निश्चित हो। इस प्रकार स्वभाविक रूप से भी, स्त्री के लिए ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, जिसमें उसकी धार्मिकता की भावना का विकास हो सके, घर में साफ सुथरा धार्मिक तथा सभ्य साहित्य रखा जाये। जब तक महिला में उच्च विचारधारा तथा कार्यों में पवित्रता एवं श्रेष्ठता उत्पन्न न होगी, उस समय तक वह घर के वातावरण को साफ सुथरा एवं शान्तिमय नहीं बना सकती, और न ही उसके गोद में पलने वाली सन्तान विचारों तथा कार्यों द्वारा आदर्श बन सकती है।

पाठक गण ध्यान दें

1-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। 2-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सूचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। 3-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। 4-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। 6- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। 7. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर फून करें। 011-23273407

पैगम्बर मुहम्मद स०अ०व० के उपदेश

❑ हज़रत अनस रजियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि आपने फरमाया क्यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जायेगा, जाहिलियत बढ़ जायेगी और शराब पिया जायेगा ज़िना (व्यभिचार) आम हो जायेगा। (बुखारी-मुस्लिम)

हज़रत आइशा रजियल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल स०अ०व० ने महल्लों में मस्जिदें बनाने उन्हें पाक साफ और खुश्बूदार रखने का हुक्म दिया है। (अबू दाऊद)

❑ जिसने अल्लाह की खुशी के लिये मस्जिद बनायी तो अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में वैसा ही घर बनायेगा। (बुखारी-४५०)

❑ हज़रत मआज़ बिन जबल रजियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि मुझ से रसूल स०अ०व० ने फरमाया जिस शख्स का आखिरी कलाम ''लाइलाहा इल्लल्लाह'' हो वह जन्नत में जायेगा। (अबू दाऊद ३११६)

❑ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूल स०अ०व० को फरमाते हुए सुना कि जिस किसी मुसलमान के मरने पर चालीस ऐसे आदमी जनाज़े की नमाज़ पढ़ा दें जो अल्लाह के साथ शिर्क न करते हों तो अल्लाह तआला उनकी सिफारिश उसके हक़ में कुबूल करता है। (मुस्लिम-६४८)

❑ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि रसूल स०अ०व० ने फरमाया जो शख्स किसी के जनाज़े में नमाज़ की अदायगी तक शामिल रहे तो उसे एक कीरात के बराबर सवाब मिलेगा। पूछा गया कि कीरात का क्या अर्थ है तो आप ने फरमायाः दो बड़े पहाड़ अर्थात जनाज़े की नमाज़ और तदफीन तक साथ रहने वाला दो बड़े पहाड़ों के बराबर सवाब लेकर वापस लौटेगा। (सहीहुल बुखारी १३२५, सहीह मुस्लिम ६४५)

❑ मुहम्मद स० ने फरमायाः जब तुम्हारा गुज़र जन्नत के बागों में से हो उसके फल खाओ। हज़रत अबू हुरैरा रजिअल्लाहो अन्हो ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! जन्नत के बाग कौन से हैं? तो मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया कि मस्जिदें हैं।

❑ मुहम्मद स०अ०व० ने फरमायाः मोमिन की मौत के बाद उसके कर्म और अच्छे कामों से जिसका उसे सवाब मिलता है वह सात हैं। इल्म जो उसने दूसरों को सिखाया और फैलाया २. नेक लड़का ३. कुरआन मजीद, जिसका किसी को इल्मी वारिस बनाया। ४. मस्जिद जिसने बनवायी ५. घर जो मुसाफिरों के लिये बनवाया। ६. नहर ७. सदक़ा जो अपनी जिन्दगी में स्वस्थ होने की हालत में दिया। इन सात कामों का सवाब मौत के बाद भी इन्सान को मिलता रहता है।

नबी स०अ०व० ने फरमाया कि जब कब्र में सवाल होता है तो काफिर या मुनाफिक यह जवाब देता है हाय हाय मुझे मालूम नहीं मैंने लोगों को एक बात करते हुये सुना तो मैं भी इसी तरह कहता रहा इसके बाद उसे लोहे से मारा जाता

है कि वह चीख उठता है उसकी चीख पुकार को इन्सान और जिन्नातों के अलावा हर चीज़ सुनती है अगर इन्सान इस आवाज़ को सुन ले तो बेहोश हो जायेगा।(बुखारी १३८०. १३३८)

❑ रसूल स०अ०व० ने फरमायाः जुल्म और ज्यादती और रिश्ता नाता तोड़ना यह दोनों ऐसे जुर्म हैं कि अल्लाह तआला आखिरत की सजा के साथ दुनिया ही में इसकी सजा दे देता है। (तिर्मिज़ी २५११, अबू दाऊद ४६०२)

❑ रसूल स०अ०व० ने फरमाया रिश्ता नाता अर्श से लटका हुआ है और कहता है, जो मुझे मिलाये, अल्लाह उसे अपने साथ मिलाये और जो मुझे तोड़े अल्लाह उसे अपने से तोड़े। (मुस्लिम २५५५)

❑ नबी स०अ०व० ने फरमायाः किसी मिस्कीन पर सदक़ा करना केवल सदका है और अगर यही सदका किसी गरीब रिश्तेदार पर किया जाये तो इसकी हैसियत दो गुना हो जाती है एक सदके का सवाब और दूसरे रिश्तेनातेदारी जोड़ने का सवाब। (तिर्मिज़ी ६५८)

❑ नबी स०अ०व० ने फरमायाः जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे रिश्ता नाता जोड़े रहना चाहिये।

नबी स०अ०व० ने फरमायाः रिश्ता नाता जोड़ने से खानदान में मुहब्बत बढ़ती है माल में बढ़ोतरी होती है और उमर में बरकत होती है। (तिर्मिज़ी)

❑ तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे तो उसको अपने हाथ से खत्म करे अगर इसकी ताकत न हो तो जुबान से दूर करने का प्रयास करे, और अगर इसकी भी ताकत न हो तो दिल में इसको बुरा जाने और यह ईमान की सबसे कमज़ोर अलामत है। (मुस्लिम)

❑ मजलूम की बददुआ से बचो इसलिये कि इसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं। (बुखारी)

❑ अगर किसी ने अपने भाई को अपमानित (रूस्वा) किया है, उसके माल व दौलत या किसी और चीज़ से कुछ लिया है या किसी के साथ कोई जुल्म किया है तो दुनिया ही में उसको मआफ करा ले और उसकी भरपाई कर दे वर्ना क्यामत के दिन जब दीनार व दिहर्म न होंगे ताकि किसी को इनके माध यम से खुश किया जा सके। जालिम के अच्छे कर्मों को उसके जुल्म के हिसाब से मजलूम के हिस्से में डाल दिये जायेंगे। जब उसका नाम-ए-आमाल नेकियों से खाली हो जायेगा और मजलूम का हक़ बाकी रहेगा तो मजलूम के गुनाह उसके सर पर डाल दिये जायेंगा। (बुखारी)

❑ जुल्म से बचो इसलिये कि जुल्म क्यामत के दिन अंधेरा बन कर आयेगा। (मुस्लिम)

❑ अपने भाई की मदद करो, चाहे वह जालिम हो या मजलूम। आप स०अ०व० से पूछा गया, जालिम की मदद कैसे की जाये। फरमाया कि उसको जुल्म करने से रोकना ही उसकी मदद है। (बुखारी-मुस्लिम)

❑ ऐ अबू ज़र! जब तुम्हारे घर सालन बनाया जाये तो उसमें पानी बढ़ा लिया करो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। (मुस्लिम ४७५८)

❑ जो व्यक्ति अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वह अपने पड़ोसी को दुख न दे। (बुखारी ०५६७१)

❑ वह व्यक्ति जन्नत में नहीं जा सकता जिस की शरारतों से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो। (मुस्लिम-६६)

❑ एक बार मुहम्मद स०अ०व० ने तीन बार यह वाक्य सुनाया अल्लाह की कसम वह व्यक्ति मोमिन नहीं हो सकता जिसके दुख से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो। (बुखारी-५५५७)

❑ अल्लाह के नजदीक साथियों में सबसे बेहतर साथी वह है जो अपने साथी के हक़ में बेहतर हो और सबसे अच्छा पड़ोसी वह है जो अपने पड़ोसी के हक़ में बेहतर हो। (तिर्मिज़ी-१८६८)

❑ जिसे यह पसन्द हो कि अल्लाह और उसके रसूल उससे मुहब्बत करें तो उसे चाहिये कि वह हमेशा सच बोले और जब किसी मामले पर उस पर भरोसा किया जाये तो वह अपने इमानतदार होने का सुबूत दे और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करे (बैहकी १५०२)

❑ हज़रत आइशा रज़िअल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल स०अ०व० ने फरमायाः कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब भी मेरे पास आते तो मुझे पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने पर इतना ज़ोर देते थे कि मुझे ऐसा लगने लगता था कि वह वरासत में पड़ोसी को हिस्सेदार बना देंगे। (बुखारी-५५५५)

❑ तुममें सब से बेहतर वह है जिसके जरिये से दूसरे इन्सानों को सबसे ज़्यादा भाइदा पहुंचे।

❑ भ्रम से बचो, क्योंकि वह बदतरीन झूठ है, दूसरों की टोह में न लगे रहो, दलाली न करो, साजिश न करो, एक दूसरे के खिलाफ डाह न रखो और अल्लाह के बन्दे बनकर भाई भाई की हैसियत से रहो। (मुस्नद अहमद २८७/२)

❑ जिस व्यक्ति का अल्लाह पर ईमान हो तो उसे अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता नाता जोड़े रखना चाहिये। (बुखारी)

❑ मुहममद स०अ०व०ने फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद (धूल धूसरित) हो। उस शख्स की नाम खाक आलूद हो उस शख्स की नाक (धूल धूसरित) हो रसूल स०अ०व०से सहाबए किराम ने सवाल किया ऐ अल्लाह के रसूल किसकी नाक खाक आलूद हो? तो आप स०अ०व० ने जवाब दिया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने माता पिता को बुढ़ापे की अवस्था में पाया हो फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में नहीं गया। (बुखारी)

❑ रिश्ता नाता अर्श से लटका हुआ है रिश्ता नाता कहता है कि जो मुझे जोड़े गा अल्लाह तआला उसे अपनी रहमत से जोड़ेगा और जो मुझे काटेगा अल्लाह तआला उसे अपनी रहमत से काट देगा। (बुखारी१४७/१)

❑ रिश्ता-नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जायेगा। (बुखारी)

❑ अल्लाह तआला ने रिश्तेदारी को खिताब करते हुये फरमाया क्या तू उससे खुश नहीं है कि जिसने तुझे मिलाया मैं उसे जन्नत से मिलाऊं और जिसने तुझे काटा मैं उसे (जन्नत से) काट दूं। (बुखारी)

❑ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बयान करते हैं कि एक व्यक्ति ने आकर मुहम्मद स०अ०व० से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा काम बता दिजिये, जिसको करने से मैं जन्नत में चला जाऊं। मुहम्मद स०अ०व०ने फरमायाः अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को साझीदार न ठहराओ, नमाज़ काइम करो, जकात दो, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो। (बुखारी-मस्लिम)

ज़हर पीना और नशीले पदार्थों का इस्तेमाल हराम है

सईदुर्रहमान सनाबिली

ज़हर पीकर अक्ल या शरीर को नुक़सान पहुंचाना हराम है। हालात इंसान के लिए चाहे जितने भी संगीन और कठोर क्यों न हों किसी के लिए ज़हर पीना दुरूस्त नहीं। ज़हर पीने वाले शख्स की दो हालतें हो सकती हैंः

१. इंसाना ज़हर को जायज़ समझ कर पिए और इसका मक़सद यह हो कि वह ज़हर के ज़रिए अपनी जान का अंत कर ले और दुनिया की कठिनाइयों से मुक्ति पा जाए, ऐसा करने वाला नाहक आत्म हत्या करने वाला क़रार पाएगा और ऐसा काम कुफ्रिया काम माना जाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह तआला की हराम की हुई चीज़ को हलाल माना और अगर तौबा से पहले उसकी मौत आ जाए तो यह शख्स हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा जैसा कि कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः "और जो कोई किसी मुसलमान को जान बूझकर क़त्ल कर डाले, उसकी सज़ा नर्क है जिसमें वह हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह का ग़ज़ब है उसे अल्लाह ने लानत की है और उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है।" (सूरह निसाः९३)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

"जिसने पहाड़ से स्वयं को गिराकर आत्महत्या की वह जहन्नम की आग में हमेशा के लिए इस तरह गिराता रहेगा, जिसने ज़हर पीकर आत्महत्या की उसके हाथ में ज़हर होगा और नरक की आग में हमेशा के लिए ज़हर पीकर आत्महत्या करता रहेगा और जिसने तेज़ धारदार औज़ार से आत्महत्या की वह औज़ार उसके हाथ में होगा और नरक की आग में हमेशा के लिए इस औज़ार से अपना पेट फाड़ेगा" (सहीह बुख़ारीः ५७७८, सहीह मुस्लिमः १०९)

दूसरी हालत यह है कि इंसान हालात से मजबूर होकर ज़हर पी ले जबकि वह ज़हर पीने की अवैधता को स्वीकार करता हो तो ऐसा इंसान काफ़िर नहीं होगा बल्कि महा पाप करने वाला माना जाएगा और ऐसा शख्स अल्लाह की मर्जी पर निर्भर होगा कि वह चाहे तो उसे मआफ करके स्वर्ग में दाखिल करेगा और चाहेगा तो उसे नर्क में दाख़िल करेगा, लेकिन दुनिया में ऐसे शख्स को गुस्ल दिया जाएगा और उसकी जनाजे की नमाज़ भी पढ़ी जाएगी।

नशीले पदार्थ का इस्तेमाल

मौजूदा ज़माने में नशीले पदार्थ और ड्रग्स का इस्तेमाल इतना साधारण हो चुका है कि लोग धड़ल्ले से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई पीढ़ी विशेष रूप से मादक पदार्थों के चंगुल में इतनी फंस चुकी है कि इसे फैशन के तौर पर अंजाम देने लगी है जबकि शरीअत ने हर प्रकार के नशीले पदार्थ के इस्तेमाल से मना किया है क्योंकि अगर कोई लगातार इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो वह बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है, शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाता है और उसकी अक्ल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों के इस्तेमाल से इंसान

इबादत करने में भी कोताह हो जाता है यही नहीं, ऐसा शख़्स अपनी ग़ैर इस्लामी आदत की वजह से खतरनाक प्रकार की बीमारियों कैंसर, दमा, हार्दिक रोग को निमंत्रित करता है। अल्लाह तआला पवित्र कुरआन में फरमाता हैः

"ऐ ईमान वालो! अपने आपस के माल को नाजायज़ तरीक़े से न खाओ मगर यह कि तुम्हारी आपस की सहमति से हो क्रय-विक्रय और अपने आप को क़त्ल न करो यक़ीनन अल्लाह तआला तुम पर मेहरबान है।" (सूरह निसाः २९)

अल्लाह तआला ने फरमायाः

"ऐ ईमान वालो! बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फ़ाल निकालने के पांसे के तीर यह सब गंदी बातें हैं, शैतानी काम हैं इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम सफल रहो। शैतान तो यूं चाहता है कि शराब और जुए के जरिया तुम्हारे आपस में दुश्मनी और हसद पैदा कर दे और अल्लाह तआला की याद और नमाज़ से तुमको दूर रखे इसलिए अब भी बाज़ आ जाओ।" (सूरह अल माइदाः९०-९१)

इलाज में बेहोश कर देने वाली दावों का इस्तेमाल

१. ऑपरेशन के लिए एनेस्थीजिया का इस्तेमालः

सर्जरी आदि में इसका इस्तेमाल जायज़ है, बेहोशी चाहे मुकम्मल हो या आंशिक, बल्कि अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है जो सर्जरी के दौरान होने वाले सख्त दर्द को हल्का करता है और यह आवश्यकता के आधार पर जायज़ होगा।

२. सख्त दर्द और दर्द को दूर करने के लिए चिकित्सीय दवाओं के साथ विशेष अनुपात में एनेस्थीजिया का इस्तेमालः

यह उस सूरत में है जब इसकी मात्रा कम हो, इससे नुक़सान या नशा न हो और इससे मरीज़ को फ़ायदा पहुंचे और मरीज़ को इसकी ज़रूरत हो और कोई दूसरी चीज़ इसकी जगह न ले सके और डॉक्टर फैसला करें कि यह ज़रूरी है तो ज़रूरत के अनुसार इलाज वैध होगा अपने आप को नुक़सान या तबाही से बचाने के लिए।

मरीज़ की ज़रूरत के अनुसार खाएगा, पिएगा, सूंघेगा, इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करेगा या निगलेगा।

❑❑❑

इस्लाहे समाज
खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम........................
पिता का नाम...............
स्थान........................
पोस्ट आफिस...............
वाया........................
तहसील......................
जिला........................
पिन कोड..................
राज्य का नाम.............
मोबाइन नम्बर.............

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताः अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6
RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

इस्लाम में शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा

प्रो० डा० ज़ियाउर्रहमान आज़मी

कुरआन कहता है ''ऐसा क्यों न हुआ कि उनके हर गरोह में से एक टोली निकलती ताकि वे धर्म में समझ पैदा करते और वे अपने लोगों को होशियार करते, जबकि वे उनकी ओर पलटते। इस तरह शायद वे बुरे कामों से बच जाते।'' (सूरा-६, अत-तौबा, आयत-१२२)

कुरआन की यह एक आयत उन सब आरोपों को झुठलाने के लिए काफी है जो इस्लाम पर ज्ञान और विज्ञान के बारे में लगाए जाते हैं। अगर इस्लाम ज्ञान और विज्ञान के विरूद्ध होता तो कुरआन इस तरह पुकार कर न कहता कि ऐ लोगो! अपने घरों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकलो, ताकि संसार को सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म और अच्छे-बुरे कर्मों से सचेत कर सको।

आज सारा संसार जुल्म की आग में झुलस रहा है, जबकि इनसान धरती पर रहते हुए आकाश का स्वप्न देखने लगा है। मगर जिस सुख-चैन के लिए उसने अपनी पूंजी खर्च कर डाली है वह उसको अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कि वहअपने सत्य-मार्ग से मुंह मोड़कर किसी और रास्ते पर चल पड़ा है। उसकी शिक्षा का उद्देश्य था कि संसार की सही रहनुमाई और मार्गदर्शन करे, परन्तु आज वह एटम बम बनकर उसको गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है और अपनी ताक़त को इनसानों की भलाई के बजाए उसे नष्ट विनष्ट करने में लगा हुआ है। परन्तु वह शिक्षा जो इनसान को इनसान बनाने के लिए प्राप्त की जाए इस्लाम उसके विरूद्ध कभी नहीं रहा, और न रहेगा।

आपको आश्चर्य होगा कि कुरआन अपने नबी को सम्बोधित करके कहता है।

''अतः जान रखो कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के योग्य नहीं।'' (सूरा-४७, मुहम्मद आयत-१६)

इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि ईश्वर की प्रार्थना और इबादत उस समय तक सही नहीं होगी जब तक पुजारी को यह न मालूम हो जाए कि उपासना के योग्य तो केवल ईश्वर ही है। दूसरे शब्दों में, यह कह सकते हैं कि उपासक को चाहिए कि उपासना करने से पहले अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त कर ले। कहीं ऐसा न हो कि अज्ञान में वह किसी और की उपासना कर बैठे।

इसमें उन लोगों के लिए चेतावनी है जो धर्म को केवल अंधविश्वासों का योग समझते हैं और उसकी वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित होने की चेष्टा नहीं करते। हो सकता है कि उनका यह दृष्टिकोण दूसरे ध र्मों के बारे में सत्य हो, परन्तु इस्लाम इसके बिल्कुल विपरीत है।

इस बात को कुछ और स्पष्ट रूप से समझने के लिए मुहम्मद स० की कुछ पवित्र शिक्षाओं का सारांश यहां बयान किया जा रहा है ताकि इस्लाम में शिक्षा के महत्व को भली-भांति समझा जा सके।

क़ैस-बिन क़सीर कहते हैं कि एक बार मैं अबू दरदा के साथ दमिश्क़ की मस्जिद में बैठा था कि एक आदमी आया और कहने लगा,

ऐ अबू दरदा! मैं मदीना से आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे खबर मिली है कि आप मुहम्मद स० की हदीस बयान करते हैं।

अबू दरदा ने फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल स० से सुना है कि आप फरमाते थे।

''जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए रास्ता तय करके आगे बढ़ता है उसके रास्ते में फरिश्ते पर (पंख) बिछाते हैं और ईश्वर उसके रास्ते को आसान कर देता है''। (इब्ने माजा २६६)

अनस रजि० बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल स० ने फरमायाः

''जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकलता है वह अल्लाह के रास्ते में है, यहां तक कि वापस आ जाए''। (तिरमिज़ी २६४७)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल स० ने फरमाया जिसके साथ अल्लाह भलाई करना चाहता है उसको धर्म में सूझबूझ प्रदान कर देता है। अबू दरदा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल स० का उपदेश है कि

''शिक्षित व्यक्ति की विशेषता उपासक पर उसी प्रकार है जिस प्रकार चौदहवीं के चांद की विशेषता सारे सितारों पर। और शिक्षित लोग नबियों के वारिस हैं और नबी दीनार तथा दिरहम नहीं छोड़कर जाते, बल्कि वे शिक्षा और ज्ञान छोड़ते हैं, इसलिए जिसने शिक्षा ग्रहण की उसने बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त किया।'' (अबू दावूद ३६४१ तथा इब्ने माजा २२३)

अबू हुरैररा कहते हैंकि अल्लाह के रसूल स० ने फरमाया

ज्ञान की बात मोमिन की खोई हुई सम्पत्ति है। इसलिए वह उसको जहां भी पाए उसका वही हक़दार है। (हदीस तिर्मिज़ी)

ये तो कुछ वे हदीसें हुईं जो शिक्षा प्राप्त करने पर उभारती हैं। अब आइए कुछ ऐसी हदीसों का भी अध्ययन करें जो ज्ञान छिपाने और उसको दूसरों तक न पहुंचाने पर कड़ी आलोचना करती हैं। इस प्रकार हमको मालूम होता है कि इस्लाम शिक्षा प्राप्त करने पर किस तरह उभारता है। दूसरे शब्दों में इस्लाम कितना वैज्ञानिक धर्म है।

ज्ञान छिपाने वालों की कड़ी आलोचना

शिक्षा की इसी विशेषता के कारण कुरआन उन लोगों की कड़ी आलोचना करता है जो ज्ञान रखते हुए भी उसको दूसरों से छिपाते हैं और उसको समाज में फैलाने की कोशिश नहीं करते ताकि और लोग उससे लाभ उठा सकें, इससे यह बात भली-भांति स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम में शिक्षा का कितना महत्व है।

आइए, कुरआन की कुछ ऐसी आयतों का भी अध्ययन करें जो ज्ञान छिपाने वालों की कड़ी आलोचना करती है।

''उससे बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जिसके पास ईश्वर की ओर से गवाही हो और वह उसे छिपाए'' (सूरा-२, अल बक़रा आयत-१४०)

गवाही का अर्थ इस्लामी ध र्म-गुरू यह लेते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में मुहम्मद स० के आने की खबर दी गई थी, परन्तु उन्होंने इसको छिपा दिया और नबी स० ने अपने नबी होने का दावा किया तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। हिन्दू धर्म के ग्रन्थ वेद और पुराणों में भी मुहम्मद स० के आने की सूचना दी गई है। इसके कुछ नमूने यहां पेश करते हैं।

एक दूसरे देश में एक आचार्य अपने मित्रों के साथ आएंगे उनका नाम महामद होगा, वे रेगिस्तानी क्षेत्र में आयेंगे। (भविष्य पुराण अ० २३२ सू ५/८)

इस श्लोक और सूत्र में स्पष्ट रूप से नाम और स्थान के संकेत हैं आने वाले पुरूष की अन्य निशानियां इस प्रकार बयान हुई हैं।

''पैदाइशी तौर पर उनका खतना किया हुआ होगा, उनके जटा नहीं होगी, वे दाढ़ी रखे हुए होंगे, गोश्त खाएंगे, अपना संदेश स्पष्ट शब्दों में ज़ोर दार तरीके से प्रसारित करेंगे, अपने संदेश के मानने वालों को मूसलाई नाम से पुकारेंगे''।

इस श्लोक को ध्यानपूर्वक देखिए खतने का रिवाज हिन्दुओं में नहीं था। जटा यहां का धार्मिक निशान था। आने वाले महान पुरूष अर्थात मुहम्मद स० के अन्दर ये सभी बातें पाई जाती हैं। फिर इस संदेश के मानने वालों के लिए मूसलाई का नाम है। यह शब्द मुस्लिम और मुसलमान की ओर संकेत करता है।

अथर्ववेद अध्याय २० में निम्नलिखित श्लोक देख सकते हैं।

''हे भक्तो! इसको ध्यान से सुनो, प्रशंसा किया गया, प्रशंसा किया जाने वाला वह महामहे महान ऋषि साठ हज़ार नव्वे लोगों के बीच आएगा।''

मुहम्मद का अर्थ है, जिसकी प्रशंसा की गई हो। आप स० की पैदाइश के समय मक्का की आबादी साठ हज़ार थी।

कुरआन मजीद नबी स० को जगत के लिए रहमत के नाम से याद करता है। ऋग्वेद में भी है।

''रहमत का नाम पाने वाला, प्रशंसा किया हुआ दस हज़ार साथियों के साथ आएगा''। (मंत्र ५/२७/१) इसी तरह वेद में महामहे और महामद के नाम से भी मुहम्मद स० के आगमन का उल्लेख है।

यह अर्थ अपने स्थान पर सही है मगर आप इसको और भी विस्तृत कीजिए और उसमें हर उस गवाही को शामिल कर लीजिए जो अल्लाह ने आपको सौंपी है, चाहे वह शिक्षा हो या किसी विशेष वस्तु का ज्ञान जो मानव-समाज के लिए लाभदायक हो। कुरआन में है।

''सत्य को असत्य से गड-मड न करो और जानते-बूझते सत्य को न छिपाओ।'' (सूरा-२, अल-बकरा, आयत-४२)

''रसूल पर पहुंचा देने के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं, और अल्लाह सब जानता है जो कुछ तुम खुले करते हो और जो छिपाते हो''। (सूरा-५, अल माइदा, आयत-६६)

''याद करो जब अल्लाह ने उन लोगों से, जिन्हें किताब दी गई थी, यह पक्का वादा लिया कि तुम इस किताब को लोगों के सामने भली भांति स्पष्ट करोगे और छिपाओग नहीं तो उन्होंने उसे पीठ पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य पर उसका सौदा किया तो क्या ही बुरा सौदा है जो ये करते हैं'। (सूरा-३, आले इमरान, आयत-१८७)

इन आयतों से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि पिछली जातियों ने अल्लाह की ओर से दी गई किताब को लोगों से छिपाए रखा और उसको भली-भांति उन तक नहीं पहुंचाया और यह एक प्रकार का बहुत बड़ा अत्याचार है क्योंकि यह किताब ज्ञान का भंडार थी उसको छिपाने वाला बहुत बड़ा अत्याचारी और धर्म-विरोधी व्यक्ति है। कुरआन में है।

"निस्सन्देह जो लाग हमारी उतारी हुई खुली खुली निशानियों और मार्गदर्शन को छिपाते हैं, जबकि हम उसे लोगों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में खोल कर बयान कर चुके हैं, वही हैं जिन पर अल्लाह की फटकार पड़ती है और फटकारने वाले जिन्हें फटकारते हैं।" (सूरा-२, अल-बकरा, आयत-१५६)

"निसन्देह जो लोग उस चीज़ को छिपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में उतारी है, और उसके बदले थोड़ा मूल्य प्राप्त करते हैं, वे अपने पेट में आग के सिवा किसी और चीज़ को नहीं भर रहे हैं और कियामत के दिन न तो अल्लाह उनसे बात करेगा और न उन्हें पाक करेगा उनके लिए दुखदायिनी यातना है।" (सूरा-२ अल बकरा आयत-१७४)

ये वे कुछ आयतें हैं जो ज्ञान छिपाने वालों पर कड़ी आलोचना करती हैं, इनसे भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम में शिक्षा का कितना महत्व है। अब आइए अल्लाह के रसूल स० के कथनों की रौशनी में इस बात को और स्पष्ट करे दें। अबू हुरैरा से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया।

"जिससे कोई ज्ञान की बात पूछी गई हो और वह उसको जानता हो, मगर उसने उसे छिपा दिया, उसे प्रलय के दिन आग की लगाम लगाई जाएगी।" (अबू दावूद तिरमिज़ी २४४६ इब्ने माजा २६१)

इस हदीस में उन लोगों की कड़ी आलोचना की गई है जो ज्ञान रखते हुए भी उसको लोगों तक नहीं पहुंचाते जिसके कारण वह ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाता है। उसका लाभ दूसरों को नहीं पहुंचता, क्योंकि दूसरों तक ज्ञान पहुचाने में उसकी बढ़ोतरी है और अपने तक रख लेना उसके लिए नुकसान है। यह भी हो सकता है कि ज्ञान जिसे दूसरे तक पहुंचाया गया है, वह उससे अधिक समझ रखने वाला हो और उसके द्वारा अधिक फायदा उठाए जैसा कि एक दूसरी हदीस में आया है।

अब्दुल्लाह बिन मसऊद का कहना है कि मैंने अल्लाह के रसूल स० को यह कहते हुए सुना "अल्लाह उस बन्दे को खुश रखे जिसने मेरी बात सुनी, उसे याद रखा और ठीक रूप में लोगों तक पहुचाया क्योंकि प्रायः ऐसा होता है कि समझ और विवेक की बात का पहुंचाने वाला स्वयं उतना ज्यादा समझदार नहीं होता और ऐसा भी होता है कि समझ और विवेक की बात का पहुँचाने वाला ऐसे व्यक्ति तक बात पहुँचा देता है जो कि उससे कहीं ज्यादा विवेकशील होता है।" (तिरमिज़ी २६५८ तथा इब्ने माजा २३२)

इस हदीस में जिस बात की ओर इशारा किया गया है वह यह है कि ज्ञान वालों को ज्ञान छिपाना नहीं चाहिये। इसकी वजह से पूरे समाज का नुकसान होता है, क्योंकि ज्ञान ध ारक प्रायः अपने ज्ञान का लाभ नहीं समझता। इसलिए अगर वह दूसरों तक वह ज्ञान पहुंचा देता है तो दूसरे उससे इच्छानुसार लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति में यह सलाहियत नहीं रखी है कि अच्छी बातों को समाज में लागू कर सके।

इसलिए इस हदीस में एक प्रकार से उन लोगों की आलोचना है जो ज्ञान को दसूरों तक नहीं पहुंचाते। हां, इतनी बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ज्ञान पहुचाँते हुए उस व्यक्ति को भी अच्छी तरह देख लेना चाहिये, जिसको ज्ञान पहुँचाया जा रहा है कि कहीं वह उस ज्ञान के

कारण फितने में न पड़ जाए जैसा कि एक हदीस में आया है।

अब्दुल्लाह बिन मसऊद से उल्लिखित है कि उन्होंने कहा

''लोगों को हदीस सुनाते समय उनकी समझ बूझ का ख्याल रखो। कहीं ऐसा न हो कि तुम उनको ऐसी बातें बता दो जो उनकी समझ से ऊंची हों और उनके कारण कोई फितना पैदा हो जाए।'' (सहीह मुस्लिम)

यद्यपि यह नबी स० की हदीस नहीं है परन्तु इससे यह बात भली प्रकार स्पष्ट होती है कि हदीस बयान करते समय लोगों की समझ बूझ का सदैव ख्याल रखा जाना चाहिये।

यह जो कुछ मैंने बताया है इसका सम्बन्ध इस्लामी शिक्षाओं से है। रही वे शिक्षाएं जिनका सम्बन्ध हमारे सामाजिक जीवन से है तो कुरआन ने इस विषय में बड़ी चेतावनी दी है, यहां तक कि उन लोगों को कि जो अपनी अक्ल को भली-भांति प्रयोग नहीं करते, पशुओं के समान बताया है।

''उनके पास दिल है परन्तु वे उनसे समझते नहीं, और उनके पास आंख है परन्तु वे उनसे देखते नहीं, और उनके पास कान हैं परन्तु वे उनसे सुनते नहीं। वे तो पशुओं की तरह हैं, बल्कि ऐसे लोग तो उनसे भी अधिक गुमराह हैं। यही वे लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं''। (सूरा-७, आराफ आयत १७६)

इससे बढ़कर उन लोगों की निन्दा और क्या हो सकती है जो अक्ल रखते हुए भी मानव समाज की भलाई सोचने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण वे कियामत के दिन अपने इस गुनाह को स्वीकार करेंगे और कहेंगे।

''यदि हम सुनते होते, या बुद्धि से काम लेते तो हम दहकती आग में पड़ने वालों में न होते।'' (सूरा-६७ अल मुल्क आयत १०)

इसलिए अल्लाह ने मनुष्य को बार-बार अपने सामने फैले हुए ब्रहमाण्ड को देखने विचारने तथा उस पर ध्यान देने की चेतावनी दी है ताकि वे इस पृथ्वी को नष्ट करने के बजाय उसको आबाद करें। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि नई साइंस के द्वारा जो तरक्की मनुष्य की भलाई के लिए हुई है इस्लाम उसको स्वीकार करता है और इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो साइंस की उन्नति में रूकावट नहीं डालता बल्कि ज्ञान को असीमित बताता है और अधिक प्रयत्न किया जाए। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि हम इनसान की हर शिक्षा को आंख बन्द करके ग्रहण कर लेंगे बल्कि पहले हम उसे इस्लाम की कसौटी पर परखें गे जो उसके विरूद्ध होगी उसको छोड़ देंगे।

अतः हम इस तरह की शिक्षाओं को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे।

संक्षेप में यह कि आप कुरआन पर एक नज़र डालकर देखें तो इसमें बहुमूल्य हीरे आपको मिलेंगे, जिसका अगर विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाए तो संसार के सारे कागज़ और रोशनाई समाप्त हो जाए फिर भी उनकी तह तक नहीं पहुंच सकता। इसी की ओर कुरआन संकेत करता है।

''धरती में जितने वृक्ष हैं, यदि वे कलम हो जाएं और यह समुद्र उसकी स्याही हो जाए, उसके बाद सात और समुद्र हों तब भी अल्लाह के बोल समाप्त न हो सकेंगे। निश्चय ही अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।'' (सूरा-३१ आयत-२७)

गाँव महल्ला में सुबह शाम पढ़ाने के लिये मकातिब क़ाइम कीजिए मकातिब में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का आयोजन कीजिये

हज़रात! पवित्र कुरआन इन्सानों और जिन्नों के नाम अल्लाह का अंतिम सन्देश है जो आखिरी नबी पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ जो मार्गदर्शन का स्रोत, इबरत व उपदेश का माध्यम, दीन व शरीअत और तौहीद व रिसालत का प्रथम स्रोत है जिस का अक्षर-अक्षर ज्ञान और हिक्मत व उपदेश के मोतियों से परिपूर्ण है जिस का सीखना सिखाना, और तिलावत सवाब का काम और जिस पर अमल सफलता और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब और ज़मानत है और कौमों की इज़्ज़त व जिल्लत और उत्थान एवं पतन इसी से सशर्त है। यही वजह है कि मुसलमानों ने शुरूआत से ही इसकी तिलावत व क़िरत और इस पर अमल का विशेष एहतमाम किया। हिफ्ज व तजवीद और कुरआन की तफसीर के मकातिब व मदारिस काइम किए और समाज में इस की तालीम व पैरवी को विशेष रूप से रिवाज दिया जिस का परिणाम यह है कि वह कुरआन की बरकत से हर मैदान में ऊंचाइयों तक पहुंचे लेकिन बाद के दौर में यह उज्जवल रिवायत दिन बदिन कमजोर पड़ती गई स्वयं उप महाद्वीप में कुरआन की तालीम व तफसीर तो दूर की बात तजवीद व किरात का अर्से तक पूर्ण और मजबूत प्रबन्ध न हो सका और न इस पर विशेष ध्यान दिया गया जबकि कुरआन सीखने, सिखाने, कुरआन की तफसीर और उसमें गौर व फिक्र के साथ साथ तजवीद भी एक अहम उददेश था और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस की बड़ी ताकीद भी फरमाई थी।

शुक्र का मकाम है कि चन्द दशकों पहले मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द सहित विभिन्न पहलुओं से शिक्षा जागरूकता अभियान के पिरणाम स्वरूप, मदर्सों, जामिआत, और मकातिब व मसाजिद में पवित्र कुरआन की तजवीद का मुबारक सिलसिला शुरू हुआ था जिस के देश व्यापी स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आए। पूरे देश में मकातिब बड़े स्तर पर स्थापित हुए और बहुत सी बस्तियों में मकतब की तालीम के प्रभाव से बच्चों का मानसिक रूप से विकास होने लगा लेकिन रोज़ बरोज़ बदलते हालात के दृष्टिगत आधुनिक पाठशालाओं, कन्वेन्ट्स और गांव में मदारिस की वजह से मकातिब बहुत प्रभावित हुए इस लिये मकातिब को बड़े और अच्छे स्तर पर विकसित करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी को दीन की बुनियादी बातों और पवित्र कुरआन से अवगत कराया जा सके।

इसलिये आप हज़रात से दर्दमन्दाना अपील है कि इस संबन्ध ा में विशेष ध्यान दें और अपने गांव महल्लों में सुबह व शाम पढ़ाने के लिये मकातिब की स्थापना को सुनिश्चित बनाएं। अगर काइम है तो उनकी सक्रियता में बेहतरी लाएं, प्राचीन व्यवस्था को अपडेट करें, इन में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का विशेष आयोजन करें ताकि जमाअत व मिल्लत की नई पीढ़ी को दीन व चरित्र से सुसज्जित करें और उन्हें दीन व अकीदे पर काइम रख सकें।

अल्लाह तआला हम सब को एक होकर दीन जमाअत व जमीअत और मुल्क व मिल्लत की निस्वार्थता सेवा करने की क्षमता दे, हर तरह के फितने और आजमाइश से सुरक्षित रखे और वैश्विक महामारी कोरोना से सबकी रक्षा करे। आमीन

अपील कर्ता

असगर अली इमाम महदी सलफी

अमीर, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द एवं अन्य जिम्मेदारान

अल्लाह से संबन्ध मज़बूत होने की दलील

नौशाद अहमद

पवित्र क़ुरआन और हदीस की शिक्षाओं का सार और खुलासा यह है कि बन्दे का संबन्ध अल्लाह से हो जाये और उस के मन में अपने पालनहार से भय पैदा हो जाये। यह इस्लाम धर्म पर विश्वास की एक ऐसी राह है जो विश्वास रखने वाले इन्सान को सफलता की ओर ले जाती है लेकिन सवाल यह है कि क्या अल्लाह और उसके रसूल (पैगम्बर) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद हमारा वह संबन्धा अल्लाह से स्थापित हो रहा है जो इस्लाम चाहता है और जिस के आधार पर इन्सान की कामयाबी का रास्ता खुलता है और एक मुसलमान के अन्दर निजात की उम्मीद पूरी होती है।

ईमान लाने के बाद सबसे पहले जो दायित्व बनता है वह यह है कि इस्लाम ने अपने पालनहार की खुश्नूदी हासिल करने के लिये इबादत करने का जो तरीक़ा बताया है, अल्लाह का बन्दा उस पर भली भांत अमल करे, क्योंकि सच्चे मन से अमल से ही इन्सान का रिश्ता अल्लाह से मज़बूत होता है, सिर्फ जुबान से कहने से रिश्ता मज़बूत नहीं होगा, और न ही आखिरत में कामयाबी मिलेगी। इसी लिये पवित्र कुरआन में ऐसे लोगों की आलोचना की गई है जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं अर्थात उनकी करनी और कथनी में विरोधाभास होता है, केवल दावे से संबन्ध मजबूत नहीं होगा धरातल पर कुछ नज़र भी आना चाहिये। अगर कोई मालदार आदमी कहता फिरे कि उसे गरीबों से बड़ी हमदर्दी है और वह अपने माल गरीबों पर खर्च करने के बजाये अमीरों को खिलाने पिलाने या गैर ज़रूरी कामों में खर्च कर रहा है तो क्या ऐसे मालदार के इस दावे को सहीह क़रार दिया जा सकता है, हर्गिज़ नहीं। इबादत करते करते इन्सान के अन्दर अल्लाह का ऐसा भय पैदा हो जाये कि इबादत छूट जाने पर भी अल्लाह से भय की स्थिति पैदा हो और जब अंजाने में कोई गलत कर्म कर बैठे तो इस पर भी अल्लाह का भय पैदा हो, यह अल्लाह से इन्सान का रिश्ता मज़बूत होने की दलील है, इस्लाम अपने मानने वालों से अल्लाह से इसी तरह के रिश्ते काइम करने की इच्छा करता है, ऐसे ही इन्सानों को ही आख़िरत में कामयाबी की जमानत दी गई है। शर्त यह है कि उसका दिल व दिमाग आखिरत तक केवल एक अल्लाह का हो कर रह जाये। पवित्र क़ुरआन और हदीस की तालीम की आवाज़ इन्सान के दिल व दिमाग की आवाज़ बनने के साथ उसके व्यवहार की भी आवाज़ बन जाये। उसकी शिक्षायें सत्य और असत्य का पैमाना बन जायें। आज लोग गफलत और लापरवाही में अल्लाह की इबादत और अन्य नेक आमाल से दूर हो गये हैं, अल्लाह से उनका रिश्ता कमजोर हो गया है, अल्लाह से बन्दों के रिश्ते मज़बूत बनाने के लिये प्रचारकों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।

❑❑❑

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जेरे एहतमाम

15 वाँ आल इंडिया रेफ्रेशर कोर्स

पिछले वर्षों की तरह मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के द्वारा प्रचारकों, अध्यापकों और अइम्मा का आल इंडिया रेफ्रेशर कोर्स 4 मई से 11 मई 2025 तक आयोजित होगा।

उम्मीद है कि यह रेफ्रेशर कोर्स भी पिछले वर्षों की तरह लाभप्रद होगा। जमाअत के सुप्रसिद्ध इस्लामी स्कालर्स, शोधकर्ता, कानूनी माहिरीन अपने इलमी, और दावती अनुभव से लाभान्वित करेंगे। राज्यों के अमीरों और सचिवगण से अपील है कि वह अपने प्रतिनिधियों के नाम जल्द से जल्द भेज दें। हर राज्य से दो प्रतिनिधियों के नाम भेजें।

रेफ्रेशर कोर्स का उदघाटन सत्र 4 मई 2025 इतवार को सुबह 8 बजे आयोजित होगा जिसमें तमाम भाग लेने वालों की शिर्कत ज़रूरी है।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

रमज़ानुल मुबारक के अवसर पर

सदक़ात व खैरात का हिस्सा मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द को देना न भूलें

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द हिन्दुस्तान में अहले हदीसों का नुमाइन्दा पलेटफार्म है जो अपने उददेशों व लक्ष्यों की रोशनी में योजनाओं को पूरा करने के लिये प्रयासरत है। उसकी दावती, तबलीगी, तालीमी, तर्बियती, तहरीरी व सहाफती, कल्याणकारी एवं समाजी सेवाओं का एक लम्बा सिलसिला है। सेमीनार कांफ्रेन्स और प्रतियोगिता के आयोजन, विभिन्न भाषाओं में पत्रिकाओं का प्रकाशन, तफसीर, हदीस और अहम दीनी किताबों के प्रसारण का काम पाबन्दी से हो रहा है। यह सब काम अल्लाह के फज़्ल व करम के बाद अहले खैर हज़रात शुभचिंतकों उपकारकों के सहयोग से हो रहा है। इस पर हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं और अपने उपकारकों और मुख्लिसीन के भी जिन्होंने किसी न किसी पहलू से मर्कज़ी जमीअत के विकास में भाग लिया है और उसके योजनाओं को पूरा करने में आज भी सहयोग जारी रखे हुये हैं।

तमाम शुभचिंतकों व मुख्लिसीन से अपील है कि रमज़ान के मौके पर मर्कज़ी जमीअत के तमाम विभागों को सक्रिय रखने और उसके निमार्ण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये जमीअत के जिम्मेदारों और कार्यकर्ताओं के साथ भरपूर सहयोग करें। वह आपकी सेवा में हाज़िर होंगे। अगर इनमें से कोई आपके पास न पहुंच सके तो कृपया अपना सहयोग मर्कज़ी जमीअत के दफतर में भेज दें अल्लाह आपकी नेकियों को कुबूल करे।

चेक या ड्राफ केवल : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

के नाम से बनवायें :A/c No.629201058685 (ICICI Bank) Chandni Chowk, Delhi-6

अपीलः- मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
"Registered with the Registrar of Newspapers for India"

MARCH 2025
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

अहले हदीस मंज़िल की तामीर व तकमील के सिलसिले में

सम्माननीय अइम्मा, खुतबा, मस्जिदों के संरक्षकों और जमईआत के पदधारियों से पुरजोर अपील व अनुरोध

अहले हदीस मंज़िल में चौथी मंज़िल की ढलाई का काम हुआ चाहता है और अन्य तीनों मंज़िलों की सफाई की तकमील के लिये आप से अनुरोध है कि आने वाले जुमा में नियमित रूप से अपनी मस्जिदों में इसके सहयोग के लिये पुरज़ोर एलान फरमायें और नीचे दिये गये खाते में रकम भेज कर जन्नत में ऊंचा मक़ाम बनाएं और इस सद-क़-ए जारिया में शरीक हों।

सहयोग के तरीक़े (१) सीमेन्ट सरिया, रोड़ी, बदरपुर, रेत (२) नक़द रक़म (३) कारीगरों और मज़दूरों की मज़दूरी की अदायगी (४) खिड़की, दरवाज़ा, पेन्ट, रंग व रोगन का सामान या क़ीमत देकर सहयोग करें और माल व औलाद और नेक कार्यों में बर्कत पाएँ।

Paytm UPI
9899152690@ptaxis

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)
Chandni Chowk, Delhi-110006
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)
पता:-4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
Ph. 23273407, Fax : 23246613

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

28

Total Pages 28